

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, यमुनानगर ।

आदेश क्रमांक जी-3/93/2245

दिनांक 24-2-1993

विषय :- गुर्जर कन्या विद्या मन्दिर, देवधर को पहली से आठवीं कक्षा के लिये 1-4-92 से स्थाई मान्यता प्रदान करना ।

गुर्जर कन्या विद्या मन्दिर, देवधर को पहली से आठवीं 8 मिल. स्तर तक 1-4-1992 से स्थाई मान्यता निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. विभाग द्वारा कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी ।
2. भविष्य में स्टाफ की नियुक्ति नई नियुक्ति करते समय आरक्षण सम्बन्धी निति का ध्यान रखेंगे ।
3. रेजुकेशन कोड की धारा 214 में दी गई शर्तों का दृढ़ता से पालन करेंगे ।
4. प्राईमरी कक्षाओं के लिये जे. बी. टी. टीचरों की नियुक्ति की जायेगी ।

US 24/2/93
8 उषा वाहरा 8

जिला शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर ।

पु0 क्रमांक -सम-

इसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आत्म्यक कार्यावाही हेतु भेजी जाती है :-

1. निदेशक, सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा, चण्डीगढ़ ।
2. सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, पितानी ।
3. सभी जिला शिक्षा अधिकारी हरियाणा राज्य में ।
4. उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, जुगाधरी को उनके पत्रांक जी-3/92/136 दिनांक 30-11-92 के संदर्भ में ।
5. प्रबन्धक, गुर्जर कन्या विद्या मन्दिर, देवधर 8 जिला-यमुनानगर 8 ।
6. मुख्याध्यापिका, गुर्जर कन्या विद्या मन्दिर, देवधर ।

US 24/2/93
जिला शिक्षा अधिकारी,
यमुनानगर ।

3/3 mail receipt no - 108
dt - 13/4/11
Sharma

SCHOOL CODE NO. 2022/XNR/121/BOSE/2011

OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA, CHANDIGARH

ORDER NO. 15/12-2010 FS(2)

DATED, CHANDIGARH, 7.04.2011

ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003 sanction is hereby accorded to grant permission for starting science stream to Gurjar Kanya Vidhya Mandir, Devdhar, Y/Nagar for Senior Secondary classes under BOSE, HARYANA pattern with effect from 1.4.2011 run by managing committee Kanya Vidya Parsharni Sabha, Khadri subject to the condition that the documents/information furnished by the school authorities are factual and not devoid of truth in any way and also subject to the terms and conditions issued vide letter of recognition No.4/34-97 SS (1) Dated 4-03-2009.


**Vijayendra Kumar
Director Secondary Education
Haryana, Chandigarh.**

Encl. No. even

Dated, Chandigarh, the 15-4-2011

A copy is forwarded to the following for information and necessary action :-


1. Manager, Kanya Vidya Parsharni Sabha, Khadri.
2. District Education Officer, Y/Nagar.
3. Secretary Board Of School Education Haryana, Bhiwani.
4. Principal, Gurjar Kanya Vidhya Mandir, Devdhar, Y/Nagar.
5. Additional Deputy Commissioner, Y/Nagar.
- ✓ 6. Copy for master file. /AD JT



Superintendent FS
for Director Secondary Education
Haryana, Chandigarh.


कार्यालय क्विल विद्या मन्दिर, यमुना नगर
पृ० क्रमांक 1 - 23/7-2010 E (2)

दिनांक 1 - 18-4-11

उपरोक्त की प्रति युक्त संस्था के
परचारणी सभा खदरी को भेजिए है।


प्रबंधक
गुर्जर कन्या विद्या मन्दिर,
देवधर, यमुनानगर (हरियाणा)


18/4/11


Principal
Gurjar Kanya Vidya Mandir,
Senior Secondary School
Devdhar (Yamuna Nagar)

आदेश क्रमांक 4/34-97 सं. 1

हरियाणा

चण्डीगढ़

दिनांक चण्डीगढ़

4-8-2000

नियमानुसार जांच उपरान्त

~~गुजर~~ ~~क्या~~ ~~विद्या~~ ~~बोर्ड~~ ~~को~~

~~गुजर~~ ~~क्या~~ ~~विद्या~~ ~~बोर्ड~~ ~~को~~ केवल शैक्षिक सत्र 1999-2000 से 10 जमा दो शिक्षा प्रणाली में जमा एक तथा जमा दो कक्षाओं में आर्ट्स, कॉमर्स तथा विज्ञान सर्काय प्रारम्भ करने की स्थाई अनुमति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

1. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक दस जमा दो शिक्षा प्रणाली हेतु राज्य सरकार/विभाग से किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान व पद इत्यादि की मांग नहीं करेंगे और इस बारे नार्म अनुसार छात्र/छात्राओं की वांछित सभी आवश्यक साधन/सुविधाएँ अपने खर्च पर ही उपलब्ध करायेगें।
2. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली की सम्बन्धित कक्षाओं के लिए प्राध्यापक वर्ग की नियुक्ति विभागीय योग्यता अनुसार अर्थात् केवल उन्हीं को प्राध्यापक पद पर लगाया जाये जिन्होंने स्म.ए./स्म.एत.सी/स्म.काम के सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों तथा सह शिक्षा के लिए विभागीय शर्तों की भी पालना की जायेगी। इसी प्रकार अन्य पदों पर नियुक्तियाँ भी हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं/शर्तों के अन्तर्गत की जायेगी।
3. सभी छात्र/छात्राओं के लिए फर्नीचर इत्यादि का उचित प्रबन्ध सुनिश्चित किया जाए।
4. जमा एक तथा दो कक्षाओं के लिए नियुक्ति नियमानुसार की जायेगी तथा प्रबन्धक उनको पूरा वेतन अपने साधनों से भुगतान करेंगे इसके लिए सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
5. विद्यालय की हरियाणा एजुकेशन कोड की सभी शर्तों का पालना करना हो होगा।
6. दस जमा दो शिक्षा प्रणाली में केवल वही विषय तथा सर्काय शुरू किए जाएंगे जिनकी टीचिंग/लर्निंग के लिए आवश्यक साधन/सुविधाएँ विद्यालय में उपलब्ध हों तथा जिनको अनुमति विभाग द्वारा दी गई हो।
7. सरकार/विभाग/हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी हिदायतों/निदेशों का पालन किया जाएगा।
8. सरकार की हिदायतों अनुसार आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा।
9. प्रवेश हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिदानी द्वारा जारी हिदायतों अनुसार किया जाएगा।

गुजर क्या विद्या बोर्ड
वेधर, गुजर क्या विद्या बोर्ड